न्यायालय उपखण्ड [illegible] निर्णय दिनांक /[illegible]

मुकदमा नम्बर 14/2019

जसविन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जटसिख निवासी साड़वा तहसील तारानगर जिला चूरू वादी

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ प्रतिवादी

उपस्थिति:—
1. राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

यह वाद जसविन्द्र सिंह ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 67 तादादी 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 तादादी 1.5500 हैक्टेयर रोही धीरदेसर पुरोहितान में स्थित है। उक्त खेत प्रार्थी के सडक के दोनो तरफ है जिसमें मौके पर सडक के उतरी तरफ 1.3000 हैक्टेयर एवं दक्षिणी तरफ 0.8000 हैक्टेयर है लेकिन राजस्व नक्शा सीट में तरमीम मौके के विपरीत होने से खसरा नम्बर 67 की तादादी 0.5500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 71 की तादादी 1.5500 हैक्टेयर है जो मौके कब्जे के विपरीत है। वादगत खेत मौके पर सडक के उतरी तरफ 1.3000 हैक्टेयर एवं दक्षिणी तरफ 0.8000 हैक्टेयर है जो राजस्व रिकार्ड में मोके कब्जे के विपरीत सड़क की तरमीम मौके से उतरी तरफ होने से वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में तादादी एवं रकबा मौके कब्जे के बिल्कुल विपरीत दर्ज है। वादगत खेतो के राजस्व नक्शा में राजस्व कर्मचारियो ने वादगत खेतो में सडक की तरमीम मौके के अनुसार न करते हुए मोके के विपरीत कर दी जिससे वादगत खेतो के रकबे एवं मोके के रकबे में काफी अन्तर आ गया वादगत खेतो का मौका राजस्व नक्शा एवं रिकार्ड से बिल्कुल विपरीत है। वादगत खेत राजस्व नक्शा सीट में मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियो ने बिना मौका जांच किये वादगत खेतो की तरमीम मौके के विपरीत कर दी जिसको वादी मौके कब्जे के अनुसार करवाने का अधिकारी है। वादी वादी ने दिनांक 21.10.2018 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला की वादी के खेतों में सडक की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत मौके से उतरी तरफ है जिसको वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से मौके कब्जे के अनुसार करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी की इनकारी से वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी के खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। वादी की भूमि रोही धीरदेसर पुरोहितान में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें का निवेदन किया गया है:—

(क) कि रोही धीरदेसर पुरोहितान के खसरा नम्बर 67 तादादी 1.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 तादादी 1.0500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 71 तादादी 0.5500 हैक्टेयर के बजाय खसरा नम्बर 67 तादादी 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 तादादी 1.0500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 71 तादादी 0.8000 हैक्टेयर घोषित की जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के अनुसार घोषित की जावें।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि रोही धीरदेसर पुरोहितान के वादगत खेत खसरा नम्बर 67 तादादी 1.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 तादादी 1.0500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 71 तादादी 0.5500 हैक्टेयर का रकबा खसरा नम्बर 67 तादादी 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 तादादी 1.0500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 71 तादादी 0.8000 हैक्टेयर दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:39 IST
Reason: SelfAttested

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 67,71,70 तादादी क्रमशः 0.55, 1.55 व 1.05 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे की बजाय खसरा नम्बर 67

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

का रकबा 1.30 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 71 का रकबा 0.80 रोही धीरदेसर पुरोहितान में मौका रिपोर्ट अनुसार किया जाता है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वाद का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 67 तादादी 1.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 तादादी 1.0500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 71 तादादी 0.6500 हैक्टेयर का रकबा खसरा नम्बर 67 तादादी 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 तादादी 0.8000 हैक्टेयर वाके रोही धीरदेसर पुरोहितान में राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.9.2022 को खुले इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारीः— दिव्या (आर.ए.एस.)
उनवान
जसविन्द सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू
बनाम
1. राजस्थान सरकार स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 131, 136 राजस्थान भू–रा० अधि.1956

निर्णय दिनांक 15.9.2021

मुकदमा नम्बर 14/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिल्लास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से राजूराम बाना मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी सं. 01 की तरफ से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 67 तादादी 1.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 तादादी 1.0500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 71 तादादी 0.5500 हैक्टेयर का रकबा खसरा नम्बर 67 तादादी 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 तादादी 0.8000 हैक्टेयर वाके रोही धीरदेसर पुरोहितान में राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज करें।

लीज..0..मुबलिग..0..बाबत..0..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह..0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 15 माह 09 सन् 2021 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	व	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		0
योग	0		0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)